

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 20-3-18

विषय :स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹5,41,000/- (पाँच लाख एकतालीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-15.05.17, 32(7)ब दिनांक-12.07.17, 49(7)ब दिनांक-24.08.17, 80(7)ब दिनांक-25.09.17 एवं 85(7)ब दिनांक-13.10.17, 122(7)ब दिनांक-28.12.17, 136(7)ब दिनांक-05.02.18 एवं 152(7)ब दिनांक-8.3.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹5,41,000/- (पाँच लाख एकतालीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 के अन्तर्गत आय-व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बन्धित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बन्धित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।



सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



20/3/18
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 163(7)A

पटना, दिनांक : 20-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


20/3/18
सरकार के विशेष सचिव

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आबंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-06)	(01-07)		(11-01)	(13-01)	(13-02)		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	10	11
1	अपर मु० चि० पदा०, गया	130000	176800	7800	2600	3800	321000	30000	20000	10000	381000	45/13.3.18
2	अपर मु० चि० पदा०, औरंगाबाद	50000	62000	7500	5000	500	125000	20000	15000	0	160000	70/22.2.18
	कुल	180000	238800	15300	7600	4300	446000	50000	35000	10000	541000	

(पाँच लाख एकतालीस हजार) रू० मात्र

163(4)A
20-3-18

सरकार के विशेष सचिव
(क)

उपबंध की स्थिति विपत्र कोड- 20-2210061010003

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	146640000	93835000	180000	94015000	52625000
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	192267000	126903400	238800	127142200	65124800
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	16777000	9976690	15300	9991990	6785010
4	परिवहन भत्ता (0003-01-05)	407000	189600	0	189600	217400
5	विक्रिस्ता भत्ता (0003-01-06)	1692000	1176405	7600	1184005	507995
6	अन्य भत्ता (0003-01-07)	1678000	1175446	4300	1179746	498254
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	359461000	233256541	446000	233702541	125758459
7	मजदूरी (0003-02-01)	5000000	5000000	0	5000000	0
8	विक्रिस्ता प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	500000	473984	0	473984	26016
9	यात्रा व्यय (0003-11-01)	1000000	505000	50000	555000	445000
10	कार्यालय व्यय (0003-13-01)	600000	565000	35000	600000	0
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0003-13-02)	200000	126500	10000	136500	63500
12	दूरभाष (0003-13-03)	100000	100000	0	100000	0
13	विद्युत प्रभार (0003-13-04)	500000	500000	0	500000	0
14	विधि प्रभार (0003-13-05)	100000	100000	0	100000	0
15	वर्दा / पोषाक (0003-13-06)	306000	195000	0	195000	111000
16	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	500000	500000	0	500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	2100000	5262	0	5262	2094738
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0003-21-01)	100000	100000	0	100000	0
19	दवा भण्डार (0003-21-02)	800000	20000	0	20000	780000
20	अनुरक्षण एवं भरमत्त (0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003-52-01)	1000000	0	0	0	1000000
	कुल योग:-	372268000	241447287	541000	241988287	130279713

163(7)A

20-3-18

सरकार के विशेष सचिव

9

30/3/18